बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–15/2015 387 पटना, दिनांकः 28·11·17

कार्यालय आदेश

श्री राघवेन्द्र नारायण, प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी धान केन्द्र मनेर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मुशहरी प्रखंड, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में किसानों/पैक्सों से खरीद किये गये धान की क्षति/गबन के लिए जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1029/आपूर्त्ति दिनांक 27.05.2015 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 170 सहपठित ज्ञापांक 896 दिनांक 13.07.2015 द्वारा श्री राघवेन्द्र नारायण पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रपत्र 'क' में श्री राघवेन्द्र नारायण के विरूद्ध आरोप का गठन निम्नरूपेण किया गया था :–

जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में किसानों/पैक्सों से धान की खरीद करने हेतु प्रभारी धान क्रय के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। आपके द्वारा मनेर धान क्रय केन्द्र में कुल 26908.80.00 क्वींटल धान की खरीद की गई थी। आपके द्वारा निर्गत भंडार निर्गमादेश के विरूद्ध राईस मिलरों को कुल 26350.70.00 क्वींटल धान की आपूर्त्ति की गई एव अवशेष 558.10 क्वीटल धान को क्षतिग्रस्त करा दिया गया, जिसका मूल्य 727985.64 रू० होता है। उक्त धान की नीलामी की गई और नीलामी से मात्र 334860 00 रू० सरकार को प्राप्त हुआ । इस प्रकार आपके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर 393125.64 रूपये की सरकारी सम्पति का दुरूबिनियोग कर अमानत में ख्यानत किया गया है, जो आपसे वसूलनीय है।

इस प्रकार आपका यह कृत अपने कर्त्तव्य में धोर लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, नियम के प्रतिकूल कार्य करना, अमानत मे ख्यानत एवं सरकारी सपत्ति का दुरूपयोग करने का द्योतक है।

2. अपर समाहर्त्ता, (विभागीय जॉच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी, पटना द्वारा पत्रांक 074 दिनांक 17.05.2017 के माध्यम से श्री राघवेन्द्र नारायण के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवदेन समर्पित किया गया है।

3. समर्पित जॉच प्रतिवेदन में सचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी के स्पष्टीकरण का कथन कि प्रशासनिक जानकारी में प्रतिकूल मौसम एवं विलंब से उठाव के कारण धान की गुणवत्ता प्रभावित हुई और निलामी की गई, जिसका आरोप उनके उपर बिना साक्ष्य के मढ दिया गया को अस्वीकृत करते हुए अपना निष्कर्ष दिया है कि '' आरोपी का कहना स्वीकार योग्य नही है, क्योंकि राज्य खाद्य निगम एवं मिलरों पर दोष मढ देने से वे दोषमुक्त नही हो जाते है। धान क्रय प्रभारी के रूप में उनका कर्त्तव्य/दायित्व था कि वे धान का पर्यवेक्षण कर यदि धान खराब हो रहा था, तो वे इसकी सूचना ससमय राज्य खाद्य निगम को देते तथा अपने स्तर से धान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का प्रयास करते परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई तथ्य /साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा धान को खराब होने से बचाने हेतु समुचित प्रयास किया गया है।

आरोपी पर प्रपत्र 'क' मे गठित सभी आरोप प्रमाणित होता है।''

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 1698 दिनांक 01.08.2017 द्वारा श्री राधवेन्द्र नारायण से अभ्यावेदन की मॉग की गयी।

5. उक्त के आलोक में श्री नारायण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 06.09.2017 को प्राप्त हुआ। श्री नारायण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में किसी नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है । उनके द्वारा उन्ही बातों को दुहराया गया है जो पूर्व के स्पष्टीकरण में संचालन पदाधिकारी को दिया गया था।

6. इस प्रकार श्री राधवेन्द्र नारायण पर गठित आरोप एवं उस पर संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से इनपर 393125.64 रूपये (तीन लाख तिरानवे हजार एक सौ पच्चीस रूपये चौसठ पैसे) सरकारी सम्पति का दुरूविनियोग करने का आरोप प्रमाणित होता हैं तथा ये घोर लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, नियम के प्रतिकूल कार्य करने, अमानत मे ख्यानत एवं सरकारी संपति के दुरूपयोग करने एवं सरकारी कर्मचारी के आचरण के विपरीत कार्य करने के दोषी है। दुरूबिनियोग की यह राशि श्री राधवेन्द्र नारायण से वसूलनीय भी है।

7. अतः श्री राधवेन्द्र नारायण, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मनेर–सह–प्रभारी क्रय केन्द्र, मनेर, पटना संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मुशहरी प्रखंड, मुजफ्फरपुर पर सरकारी सम्पति का दुरूबिनियोग का उक्त आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप उन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक .– स्था०1/आ०2–15/2015 2653 पटना, दिनांक : 28.11.17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री राधवेन्द्र नारायण से दुरूबिनियोग की राशि की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
3. जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना/मुजफ्फरपुर
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर।
7. श्री सुदामा प्रसाद, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री राधवेन्द्र नारायण तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मनेर, पटना संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मुशहरी प्रखंड, मुजफ्फपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/11/17
निदेशक

1467